कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स, बॉम्बे

बनाम

वनाज इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड, बम्बई

2 मई, 1986

[आर. एस. पाठक, आर. बी. मिश्रा और जी. एल. ओजा, न्यायाधिपतिगण]

आयकर अधिनियम, 1961, धारा 22, 29 और 40 ए(7)(बी)(।।)- ग्रेच्युटी- 1970 में करदाता फर्म में पहली बार योजना शुरू की गई- बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर 31 दिसंबर, 1970 को कुल देनदारी लाभ में डेबिट की गई और हानि खाता- मूल्यांकन कार्यवाही- आयकर अधिकारी देनदारी के बोझ को अस्वीकार कर रहा है- अपीलीय सहायक आयुक्त और न्यायाधिकरण उस देनदारी की अनुमति दे रहा है- राजस्व द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील- क्या निर्धारिती पूरी राशि की कटौती का हकदार है- अभिनिर्धारित- सवाल उठता है- मामला नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेज गया।

प्रतिवादी-फर्म (निर्धारिती) के पास कैलेंडर वर्ष 1970 से पहले के वर्षों के लिए कोई ग्रेच्युटी योजना नहीं थी, लेकिन ऐसी योजना पहली बार

1970 के मध्य में तैयार की गई थी और 1 जुलाई, 1970 से लागू की गई थी।

प्रतिवादी ने लाभ और हानि खाते में ग्रेच्युटी योजना के कारण 31 दिसंबर, 1970 को कुल देनदारी के रूप में लाभ के विरुद्ध शुल्क के रूप में 2,11,305 रुपये की राशि डेबिट की। यह राशि एक कंसल्टिंग एक्चुअरी द्वारा तैयार बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की गई थी।

निर्धारण वर्ष 1971-72 की मूल्यांकन कार्यवाही में, आयकर अधिकारी प्रतिवादी द्वारा दावा की गई पूरी राशि को ग्रेच्युटी के प्रावधान के रूप में अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। परामर्श बीमांकिक से निर्धारिती द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर देनदारी का बोझ 1,84,056 रुपये निर्धारित किया गया था। इसलिए आयकर अधिकारी ने केवल 27,249 रुपये की देनदारी की अनुमति दी, जो 2,11,305 रुपये और 1,84,056 रुपये के बीच का अंतर था।

अपील पर, अपीलीय सहायक आयुक्त ने माना कि पूरी राशि स्वीकार्य थी और 1,84,056 रुपये की राहत दी।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में विभाग की अपील खारिज होने के बाद, विभाग ने इस सवाल का संदर्भ मांगा कि क्या निर्धारिती पूरी राशि की कटौती का हकदार था।

इस आधार पर कि अपीलकर्ता न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने विभाग के आवेदन को खारिज कर दिया था, विभाग अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में अपील में आया।

अपील में, विभाग की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 ए(7)(बी)(11) के प्रावधान संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए प्रतिवादी ग्रेच्युटी राशि की कटौती का हकदार नहीं है।

अपील स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया: यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या श्री साजन मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त म.प्र. और दूसरा, [1985] 156 आई.टी.आर. 585, में निर्धारित की गई बातों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 40 ए(7)(बी)(11) के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। [955 एफ]

पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उक्त प्रावधान में पहली शर्त प्रतिवादी द्वारा पूरी की गई है। यह निर्धारित करना बाकी है कि क्या दूसरी और तीसरी शर्तें भी पूरी होती हैं। [955 एफ-जी]

अपील के तहत निर्णय रद्द कर दिया गया। मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया। [955 जी-एच]

डी.वी. बपूत आई.टी. कंपनी सर्कल बॉम्बे बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, 8 जनवरी 1986 को निर्णित सी.ए. नं. 1247/1980- पालन किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4253/1983

बॉम्बे हाई कोर्ट के आई.टी. रेफरेंस संख्या 4253/1983 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 9 मार्च, 1979 से।

अपीलकर्ता की ओर से एस.सी. मनचंदा और सुश्री ए. सुभाषिनी।

श्रीमती ए.के. वर्मा और जोएल पेरेस, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय पाठक, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील कुछ महत्व के प्रश्न से संबंधित है।

प्रतिवादी, जो व्यापारिक प्रणाली पर अपने खाते रखता है, अपनी लेखा अवधि के रूप में कैलेंडर वर्ष का पालन करता है। कैलेंडर वर्ष 1970 से पहले के वर्षों के लिए इसमें कोई ग्रेच्युटी योजना नहीं थी, लेकिन ऐसी योजना पहली बार 1970 के मध्य में तैयार की गई थी और 1 जुलाई, 1970 से लागू की गई थी। इस योजना में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या इस्तीफे पर वह ग्रेच्युटी का पात्र होगा, बशर्ते उसने 15 साल की निरंतर सेवा की हो। मृत्यु या स्थायी शारीरिक या मानसिक विकलांगता के मामले में, एक कर्मचारी अलग-अलग दरों पर ग्रेच्युटी के लिए पात्र था, यह इस बात पर निर्भर करता था कि

उसने दस साल की निरंतर सेवा की है या उससे अधिक। सेवा की समाप्ति या छँटनी के मामले में, पाँच साल की निरंतर सेवा तक कोई ग्रेच्युटी देय नहीं थी, और उसके बाद दरों पर देय थी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि लगातार सेवा पाँच साल से दस साल, दस से पंद्रह साल या पंद्रह साल से अधिक थी। यदि किसी कर्मचारी को कदाचार, कंपनी के लिए कानून बिगाड़ने, हिंसक कार्रवाई और इसी तरह के कारणों के लिए बर्खास्त किया गया था तो कोई ग्रेच्युटी देय नहीं थी। प्रतिवादी ने लाभ और हानि खाते में ग्रेच्युटी योजना के कारण 31 दिसंबर, 1970 को कुल देनदारी के रूप में लाभ के विरुद्ध शुल्क के रूप में 2,11,305 रुपये की राशि डेबिट की। के कारण 31 दिसंबर, 1970 को कुल देयता होने पर, लाभ के विरुद्ध शुल्क के रूप में 2,11,की। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह राशि एक परामर्श बीमांकिक द्वारा तैयार बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की गई थी।

निर्धारण वर्ष 1971-72 (संबंधित लेखांकन अवधि कैलेंडर वर्ष 1970 है) के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में, आयकर अधिकारी प्रतिवादी द्वारा दावा की गई पूरी राशि को ग्रेच्युटी के प्रावधान के रूप में अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। उनके कहने पर 31 दिसंबर, 1969 और 31 दिसंबर, 1970 को देनदारी के संबंध में परामर्श बीमांकिक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। 31 दिसंबर, 1969 को देनदारी का बोझ रुपये 1,84,056 था इसलिए, आयकर अधिकारी ने केवल रुपये 2,11,305 और रु.

1,84,056 के बीच के अंतर की सीमा तक देनदारी की अनुमति दी, यानि उसने रुपये 27,249 की अनुमति दी।

प्रतिवादी की अपील पर, मेटल बॉक्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम देयर वर्कमेन, [1969] 73 1.टी.आर. 53 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त ने माना कि पूरी राशि स्वीकार्य थी। तदनुसार, उन्होंने रुपये की राहत दी। 1,84,रूपये 1,84,056/- की राहत दी।

राजस्व ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण में दूसरी अपील में कार्यवाही की, जो कि एक मामले में दिए गए पहले के फैसले के बाद हुई थी, जहां इलाहाबाद उच्च के मेटल बॉक्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय था। माधो महेश शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त में न्यायालय, [1973] 92 आई.टी.आर. 503 और दिल्ली फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त में दिल्ली उच्च न्यायालय, [1974] 95 आई.टी.आर. 151 पर विचार किया गया, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलीय सहायक आयुक्त सही थे और मुनाफे के विरुद्ध पूरी राशि को शुल्क के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। राजस्व द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई।

इसी तरह के प्रश्न पर बाद में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम डी.वी. बापट, आयकर अधिकारी, कंपनी सर्कल 1(2) बॉम्बे, और अन्य, [1975] 101 आई.टी.आर. 292 के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा विस्तार से विचार किया गया था। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा तदनुरूप दृष्टिकोण अपनाया गया।

राजस्व के अनुरोध पर, कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर उच्च न्यायालय की राय के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण से एक संदर्भ मांगा गया था:

> "चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, निर्धारिती कानून में 2,11, क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, निर्धारिती रुपये की ग्रेच्युटी रूपये 2,11,305 के पूरे प्रावधान की कटौती के लिए कानून में हकदार है या तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) के तहत धारा 29 के साथ पठित धारा 38 के तहत।"

यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने कोई संदर्भ दिया या इसे अस्वीकार कर दिया। हमारे समक्ष अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 23.4.1980 के आदेश की प्रति होने का तात्पर्य यह दर्शाता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने वास्तव में प्रश्न को उच्च न्यायालय को भेज

दिया था। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में आईटी संदर्भ संख्या 485/1976 में सीआईटी बनाम वनाज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 9.3.79 के खिलाफ निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए दायर की गई थी, यह कहते हुये कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने रेफरेंस आवेदन को खारिज कर दिया, और उसके बाद उच्च न्यायालय में किए गए एक आवेदन को 23 अप्रैल, 1980 को खारिज कर दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विसंगति हमारे सामने मौजूद रिकॉर्ड में मौजूद है। यह याचिका तैयार करने में पर्याप्त सावधानी की कमी को दर्शाता है। हालाँकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही हम यह मान लें कि उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा किए गए संदर्भ आवेदन को खारिज कर दिया है, हमारी राय है कि राजस्व द्वारा मांगी गई शर्तों में कानून का प्रश्न उठता है। हमारी यह भी राय है कि मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजने और उसे मामले का विवरण मंगाने और उसके बाद कानून के सवाल का जवाब देने का निर्देश देने के बजाय, इसका निपटारा करना उचित होगा। मामले का निपटारा गुण-दोष के आधार पर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न वह है जिसने पहले से ही कई मामलों में इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। पक्षों के विद्वान वकील भी इस बात पर सहमत हैं कि मामले का निपटारा डी.वी. बापट, आई.टी.ओ. कंपनी सर्कल, बॉम्बे बनाम टाटा आयरन एंड स्टील

कंपनी लिमिटेड, (सीए नंबर 1247, 1980) 8 जनवरी, 1986 को निर्णित, के समान शर्तों पर किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40ए(7)(बी)(ii) के प्रावधान संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए, प्रतिवादी ग्रेच्युटी राशि की कटौती का हकदार नहीं था। धारा 40ए(7)(बी)(11) के प्रावधान का अर्थ हाल ही में श्री सज्जन मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, म.प्र. एवं अन्य, [1985] 156 आई.टी.आर. 585 के मामले में इस न्यायालय द्वारा लगाया गया है और हमें यह आवश्यक लगता है कि उच्च न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या उस मामले में निर्धारित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में उन प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उस प्रावधान की पहली शर्त प्रतिवादी द्वारा पूरी की गई है। यह निर्धारित करना बाकी है कि क्या दूसरी और तीसरी शर्तें भी पूरी होती हैं।

इन परिस्थितियों में, हम अपील के तहत फैसले को रद्द करना और इस फैसले में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजना उचित समझते हैं।

अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है और मामले को हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

एन.वी.के.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।